न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 12/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बाबूलाल उर्फ बाबू खां पुत्र गणेशराम खां जाति ढाडी मुसलमान निवासी पांचला सिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर राजस्थान		नायब तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07.10.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 72/2023 सरकार बनाम बाबूलाल में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्धा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.03.2024 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.01.2024 की फोटोप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा पंचायत समिति मुण्डवा के पत्र दिनांक 11.08.12 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि पांचला सिद्धा के खसरा संख्या 1292 रकबा 0.0613 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताकर भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस भेजा गया। अपीलांट की इस नोटिस पर कभी तामिल नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.01.2024 को अपीलांट के पीठ पीछे आदेश पारित कर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने तथा ग्यारह रूपये की शस्ति से दण्डित करने के आदेश पारित किये। दिनांक 04.03.2024 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये तथा अपीलांट को निर्णय की जानकारी दी तथा कहा कि सात दिन में अपीलांट को बेदखल किया जायेगा, जिस पर अपीलांट ने तहसील जाकर जानकारी कराई, तब अपीलांट को सर्वप्रथम पता चला कि अपीलांट की फर्जी तामील बताकर अपीलांट के पीठ पीछे 09.01.2024 को ही नायब तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। जिस पर तत्काल निर्णय की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया गया तथा 07.03.2024 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई। 08.03.2024 से 10.03.2024 तक राज अवकाश होने से अपील पेश नहीं हो सकी। जिससे यह अपील दिनांक 15.03.2024 को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन निर्णय अवैध अनाधिकृत विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

07/10/24

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)– नायब तहसीलदार ने जिस भूमि बाबत अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की है वह भूमि व उसमे बना झोंपे (मकान) अपीलांट के ग्राम पांचला सिद्वा में आबादी क्षेत्र में बडेरो के समय का मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे का रहवासी बाडा पांचला से थामडिया जाने वाली सडक से पूर्व दिशा में आया हुआ है। जिसमें अपीलांट का रहवासी झोंपा आया हुआ है जिसमें अपीलांट व उसका परिवार पीढियों से रहता चला आ रहा है। इस बाडे का पडौस उत्तर में श्रवण खां का रहवासी मकान दक्षिण में लक्ष्मीचंद का रहवासी मकान पूर्व में रामूराम की जायगा व पश्चिम में खुली भूमि और फिर सडक है। इस बाडे का निकाल पश्चिम दिशा में है। इस भूमि को रास्ते की भूमि बताने में नायब तहसीलदार व पटवारी ने कानूनी गलती की है।

{2}(III)–अपीलांट के इस बाडे और रहवासी झोंपे की भूमि पर कभी रास्ता नहीं रहा न आज दिन है। वर्षो पहले अपीलांट के इस बाडे के पश्चिम दिशा में खुली जगह छोडकर कच्चा रास्ता था। जहां वर्तमान में कई वर्षो पहले सडक बन गई। इस सडक और अपीलांट के बाडे व झोंपे के बीच चौडी खुली जगह पडी है। लोगों का व वाहनो का आवागमन इस सडक से होता है तथा अपीलांट के बाडे झोपें से कोई रूकावट बाधा नहीं है। अपीलांट के झोंपे व बाडे के पास चिपते हो अन्य लोगो के मालिकाना एक ही जगह में मकान दुकाने वगैरा बने हुए है। मगर इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये वगैरा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(IV)–आज से लगभग ग्यारह साल पहले भी अपीलांट के विरूद्व जिलाधीश नागौर को किसी ने झूठी शिकायत की तब ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त भूमि अपीलांट व उसके पूर्वजो की बताई तथा बाडे व झोपें पुराने बताये थे जिस पर अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही समाप्त की गई थी।

{2}(V)–अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के कोई नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुए। अपीलांट की तामिल फर्जी बताई गई है। अपीलांट के पीठ पीछे फर्जी तामिल बताकर निर्णय पारित करने से भी अपीलाधीन निर्णय खारीज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)– अपीलांट की फर्जी तामील बताकर कार्यवाही करने से अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा अपीलांट प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त से वंचित रहा। अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है।

{2}(VII)–वादग्रस्त भूमि कभी भी रास्ते की भूमि नहीं रही है। आर.आई व पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाई वह अपीलांट की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है तथा अपीलांट की मौजूदगी में कोई नाप चोप कभी नहीं किया गया ऐसी गलत झूठी एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

{2}(VIII)– वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्वजो के समय से कब्जे मालिकाना हक स्वामित्व की रहती रही है तथा इस भूमि का पटटा अपीलांट के पिता के नाम का आवंटन अधिकारी (विकास अधिकारी) द्वारा 12.01.1975 को जारी किया गया था।

{2}(IX)–वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है राजस्थान सरकार द्वारा सन 1975 में अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरो को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड दिये गये थे। अपीलांट के पिता श्रमिक व कारीगर होने से अपीलांट के पिता को पटटा जारी कर कब्जा अपीलांट के पिता को दे दिया गया था। अपीलांट के पिता का सन् 1975 से रहवासी झोपा इस भूखण्ड पर बना हुआ है। अपीलांट का कब्जा स्वामी मालिक की हैसियत से है। समय समय पर अपीलांट ने राजकीय राशि प्राप्त कर इसमें निर्माण कराया है।

{2}(X)–अपीलांट के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की आवासीय आबादी भूमि पर नायब तहसीलदार खींवसर को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार पट्टाधारी काबिज व्यक्ति के विरूद्व भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही व निर्णय बिना क्षेत्राधिकार की होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2003 पेज 441 से 443, आरएलडब्लू 1995 (1)(एस.सी.) पेज 117 से 120, आरएलडब्लू 2009 (3) पेज 2195 से 2219 तथा आरएलडब्लू 2003 (4) एस.सी. पेज 509 से 522 तक नजीरे पेश की।

07/10/14

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा पांचला सिद्वा में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 72/2023 सरकार बनाम बाबूलाल में निर्णय दिनांक 09.01.2024 के तहत मौजा पांचला सिद्वा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2023 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 1292 किस्म गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/10/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर